राजस्टड न0 एल0-33/एस0 एम/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 21 मई, 1997/31 बैशाख, 1919

हिमाचल प्रदेश सरकार

आयुर्वेद विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 मई, 1997

संख्या आयु0 सी0 क (3)-2/95.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री डी0 एन0 शर्मा, फार्मास्यिुटिकल कैमिस्ट औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, जोगिन्द्रनगर को हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए होम्योपैथिक औषधि का निर्माण, विक्रय और वितरण करने हेतु तुरन्त प्रभाव से निरीक्षक नियुक्त करते हैं।

आदेश द्वारा,

सी0 पी0 सुजाया,
वित्तायुक्त एवं सचिव।

[Authoritative english text of Notification No. Ayur-C-Ka (3)-2/95, dated 6-5-97 as required under Clause (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

AYURVEDA DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th May, 1997

No. Ayur-C-Ka (3)-2/95.—In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri D. N. Sharma, Pharmaceutical Chemist, Drug Testing Laboratory, Department of Indian System of Medicines and Homoeopathy, Joginder Nagar as Inspector for the purposes of manufacture, sale and distribute of Homoeopathic Drugs throughout the State of Himachal Pradesh, with immediate effect.

By order,

C. P. SUJAYA,
Financial Commissioner-cum-Secretary.

आयुर्वेद विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 मई, 1997

संख्या आयुर्वेद सी0क(3)-2/95.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री विक्रमादित्या, निदेशक, फार्माकोपियल प्रयोगशाला, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, गाजियाबाद को हिमाचल प्रदेश की होम्योपैथिक औषधियों की बावत तुरन्त प्रभाव से राजकीय विश्लेषक घोषित करते हैं, जिन्हें, होम्योपैथिक औषधियों की बाबत भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय (आई0 एस0 एम0 एवं एच0) विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या एक्स-19018/14/95-होम्यो (एस0 पी0 सी0), तारीख 1-8-96 द्वारा सम्पूर्ण भारत के लिए राजकीय विश्लेषक घोषित किया गया है।

आदेश द्वारा,

पी0 सी0 सुजाया,
वित्तायुक्त एवं सचिव।

[Authoritative english text of Notification No. Ayur.--C-Ka(3)*-2/95, dated 6-5-1997 is hereby published in the H.P. Rajpatra as required under Clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

AYURVEDA DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 6th May, 1997

No. Ayur-C-Ka(3)-2/95.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940, the Governor of Himachal Pradesh is

pleased to appoint Shri Vikramaditya, Director, Pharmacopoela Laboratory, Ministry of Health and Family Welfare, Gaziabad as Government Analyst in respect of Homoeopathic Medicine of Himachal Pradesh who has been declared as Govt. Analyst for the whole of India in respect of Homoeopathic Medicines by the Govt of India, Ministry of Health and Family Welfare (Deptt. of ISM & H) *vide* notification No. X-19018/14/35-Homoeo(HPC), dated 1-8-96, with immediate effect.

By order,

C. P. SUJAYA,
Financial Commissioner-cum-*Secretary* (*Health*).

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the 8th May*, 1997

No. Home-B (A) 1-2/93.—On the recommendation of the High Court of Himachal Pradesh and in exercise of the powers vested in him under the provisions of Articles 233 (1) of the Constitution of India read with second proviso of sub-rule-1 of Rule-8 of the Himachal Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1973, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to promote in officiating capacity and appoint Shri R. C. Sharma to the Himachal Pradesh Higher Judicial Service with effect from assuming the charge at the place to which he may be posted by the Hon'ble High Court.

2. The above appointment shall not entitle him to claim any right including seniority in pursuance of this officiating promotion/appointment.

By order,

Sd/-
Commissioner-cum-*Secretary*.

पंचायती राज विभाग

आदेश

शिमला-171 002, 13 मई, 1997

संख्या पी०सी०एच०-एच-ए०(5) 42/95-8660-65.—क्योंकि श्री अमर सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत कोटी उतराऊ, विकास खण्ड शिलाई के विरुद्ध प्रारम्भिक छानबीन जांच के फलस्वरूप यह तथ्य सामने आये हैं कि उन्होंने वर्ष 9/94 को आंगन बाड़ी, कार्यकर्ताओं के पद भरने हेतु साक्षात्कार के समय प्रत्याशियों को इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया कि उनके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी, अर्धसरकारी व संगठित क्षेत्र में सेवारत नहीं है;

और यह कि श्री जगत सिंह उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कोठी उतराऊ की लिखित शिकायत पर छानबीन करने उपरान्त यह तथ्य सामने आया है कि श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री गुमान सिंह के परिवार से दो सदस्य

सरकारी नौकरी में है तथा प्रधान द्वारा श्रीमती शीला देवी का पक्षपात करत हुए झूठा प्रमाण-पत्र जारी किया गया जिसके लिए श्रीमती शीला देवी पात्र नहीं थी, तथा इस प्रमाण-पत्र के आधार पर श्रीमती शीला अनुचित रूप से नौकरी करने में सफल हुई ;

और क्योंकि श्री अमर सिंह जाली प्रमाण-पत्र जारी करके अपने पद का दुरुपयोग करने तथा अपने कार्य के निष्पादन में प्रथम दृष्टि में अनाचार का आरोपी प्रतीत होता है ;

उपर्युक्त आरोपों की वास्तविकता को जानने के लिए मामले में नियमित जांच का करवाया जाना आवश्यक है ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत तथ्यों को वास्तविकता जानने हेतु जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर को जांच अधिकारी तथा पंचायत निरीक्षक शिलाई का प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करने के सहर्ष आदेश देते हैं । वह अपनी जांच रिपोर्ट उपायुक्त सिरमौर क माध्यम से शीघ्र निदेशालय को प्रेषित करेंगे । पंचायत निरीक्षक शिलाई जांच काल के दौरान जांच अधिकारी द्वारा वांछित रिकार्ड के साथ-साथ सरकार का पूर्ण पक्ष भी रखेंगे ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव एवं वित्तायुक्त (पचायत)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।